

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

मुखदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/रॉची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (यॉ०), जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड रॉची।

रॉची, दिनांक 02-02-15

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना	207.335

कुल आवंटित राशि - रुपये दो करोड़ सात लाख तैंतीस हजार पाँच सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट उपबंध ₹ 6251.35 लाख (बासठ करोड़ एक्यावन लाख पैँतीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.

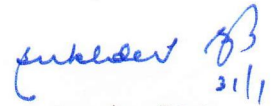
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. वित्तीय वर्ष 2014-15 से सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतनादि तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


31/1

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 183

राँची, दिनांक :- 02-02-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


31/1

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 183

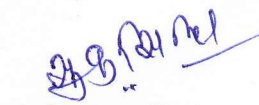
राँची, दिनांक :- 02-02-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)


31/1
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक

पत्रांक 182 दिनांक 02.02.15 का अनुलग्नक

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-छोटानागापुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

वित्तीय वर्ष 2014-2015		विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते						विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	एल०टी०सी०	15.11.2000 के बाद का वेतनादि	विकिरस्ता प्रतिपूर्ति	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विशि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति							
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	जलपथ अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन अद्यतन आवंटन	62.000 36.690 98.690	0.000 0.000 0.000	4.433 0.000 4.433	0.000 0.000 0.800	0.600 0.100 0.700	0.000 0.200 0.200	0.200 0.000 0.200	0.100 0.500 0.600	1.000 0.100 1.100	0.000 0.000 0.000	69.133 37.590 106.723								
2	गुण नियंत्रण प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन अद्यतन आवंटन	75.000 42.600 117.600	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.790 0.000 0.790	0.400 0.100 0.500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.325 0.600	0.600 0.000 0.050	0.050 0.000 0.050	76.840 43.025 119.865								
3	जलपथ प्रमंडल, बरही	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन अद्यतन आवंटन	181.000 90.000 271.000	0.000 0.000 0.000	0.197 0.000 0.197	0.800 0.000 0.800	0.400 0.000 0.400	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.000 0.900 0.900	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	182.447 90.900 273.347								
4	जलपथ प्रमंडल, विष्णुपुर, पाटन	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन अद्यतन आवंटन	41.720 35.520 77.240	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.300 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.600 0.000 0.600	0.000 0.000 0.000	43.120 35.520 78.640								
5	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, मंडल, (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	134.000 0.000 134.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.800 0.000 0.800	0.400 0.100 0.500	0.000 0.200 0.200	0.050 0.000 0.050	0.600 0.000 0.600	0.950 0.000 0.950	0.000 0.000 0.000	136.800 0.300 137.100								
	अतिरिक्त आवंटन का योग		204.810	0.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	1.725	0.100	0.000	207.335								

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-
(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

दो करोड़ सात लाख नौ सौ हजार पांच सौ मात्र
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव